

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/प्रवेश/2022/ 5716

दिनांक 21/7/2022

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक/644/619/2022/38-3 भोपाल दिनांक 20.05.2022 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक को सूचित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ ऐसे प्रवेशित छात्रों जिनके संरक्षक/पालक/माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 से 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है उन छात्रों को शासन के आदेश क्रमांक/1373/2021/50-2, एवं मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 644/619/2022/38-3, दिनांक 20.05.2022 के बिन्दु क्रमांक 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के बिन्दु क्रमांक 5.3.2 के अनुसार स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में बाल हितग्राहियों को (प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, अन्य वार्षिक शुल्क, मेस शुल्क सहित), एवं कॉशनमनी जमा कराने से इत्यादि छूट देते हुये बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क देते हुये सहायता प्रदान की जाती है एवं समस्त शुल्क की प्रतिभूति संबंधित संस्था द्वारा की जावेगी।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त वार्डन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक निदेशक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. सहा/उप-कुलसचिव (प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहा/उप-कुलसचिव (प्रशा0)